न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर/2006/8760/गंगानगर।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी

बनाम

आत्मा पुत्र श्री सिधू जाति चौधरी निवासी चक 27 एम. डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये वारिसान :-

1/1. चुहडुराम पुत्र श्री आत्मा जाति चौधरी निवासी ग्राम चलवाड़ा तहसील जवाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

2/2. श्रीमति तुलसी देवी पुत्री आत्मा जाति चौधरी निवासी ग्राम नगरोट सूरियां तहसील जवाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

.....प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य

उपस्थिति :-
श्री शिवप्रकाश चौधरी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी राज्य सरकार।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय ***दि0 9/1/26***

1- हस्तगत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-76 के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या-108/2006, बउनवान आत्मा बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20-09-2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2- अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किप्रत्यर्थी को बतौर पोंग बांध विस्थापित चक 26 एम.डी. का मु.नं. 205/3 की 25 बीघा भूमि का उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास व्यास प्रोजेक्ट) बीकानेर द्वारा दिनांक 28-08-1973 को आवंटन किया गया, जिसे आदेश दिनांक 24-10-1973 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रत्यर्थी ने आवंटन के पश्चात् 45 दिन में नियमानुसार किश्त जमा करवा कर कब्जा प्राप्त नहीं किया है एवं नियम 5(7) का उल्लंघन हुआ है। प्रत्यर्थी ने उक्त निर्णय दिनांक 24-10-1973 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के यहां पेश की गई, जिन्होंने निर्णय दिनांक 20-09-2006 के द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास व्यास प्रोजेक्ट) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-10-1973 को निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर आवंटन नियम-7 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही करें। उक्त निर्णय दिनांक 20-09-2006

से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी राज्य सरकार ने यह अपील मण्डल में पेश की है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस उप राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–09–2006 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी का आवंटन प्रत्यर्थी को दिनांक 28–08–1973 को उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास व्यास प्रोजेक्ट) बीकानेर द्वारा किया गया था, किन्तु उसके द्वारा ना तो आवंटन की किश्त जमा करवाई गई एव ंना ही उसके द्वारा आराजी का कब्जा प्राप्त किया गया। प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण उसके हक में किये गये आवंटन को आवंटन नियम–5(7) के तहत् सही रूप से निरस्त किया गया। प्रत्यर्थी ने निर्णय दिनांक 24–10–1973 के विरूद्ध करीब 36 साल बाद मियाद बाहर अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में पेश की, किन्तु उक्त असाधारण देरी की माफी हेतु कोई पर्याप्त व समुचित कारण धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये, जिससे कि देरी को क्षमा किया जा सके। धारा–3 मियाद अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक है तथा प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त असाधारण देरी को क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर अपील को स्वीकार करने में भी गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर का निर्णय दिनांक 20–09–2006 निरस्त कर उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास) बीकानेर का निर्णय दिनांक 24–10–1973 यथावत् रखते हुए आवंटन आदेश दिनांक 28–08–1973 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि दिनांक 28–08–1973 को प्रत्यर्थी आत्मा पुत्र सिधू के पक्ष में उपायुक्त उपनिवेशन (पुनर्वास व्यास प्रोजेक्ट) बीकानेर द्वारा विवादित भूमि चक नं. 26 एम.डी. मु.नं. 205/3 रकबा 25 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान नहर परियोजना पोंग बांध विस्थापित कृषि भूमि आवंटन नियम–5(6) के तहत् किया जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस फार्म जारी किया गया। उक्त आवंटन नियम–5(7) के तहत् नोटिस प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के भीतर आराजी की पहली किश्त जमा करवा कर कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है, किन्तु प्रत्यर्थी/आवंटिती ने नियत अवधि में नियमानुसार राशि जमा करवा कब्जा प्राप्त नहीं किया, जिसे नियम नियम–5(7) का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिनांक 24–10–1973 को प्रत्यर्थी/आवंटिती के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में आवंटन नियम–5 के उपनियम–7 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार यदि अप्रार्थी निर्धारित अवधि के भीतर किस्त जमा कराने और भूमि पर कब्जा करने में विफल रहता है तो आवंटन रद्द मान जायेगा। अप्रार्थी आत्मा ने निर्धारित अवधि 45 दिवस के भीतर आवंटन राशि जमा नहीं करवाई, जिस पर विधिनुसार अप्रार्थी का आवंटन रद्द कर दिया गया। उक्त आवंटन निरस्तीकरण के आदेश दिनांक 24–10–1973 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर के समक्ष पेश की गई जो कि करीब 36 वर्ष पश्चात् की असाधारण देरी के साथ

प्रस्तुत हुई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने क्षमा करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया है। यह सही है कि अपील अत्यधिक विलंब से पेश हुई, किन्तु मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने की अपेक्षा न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारण अपेक्षित है, जैसा कि समय–समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा इस संबंध में अपने मत प्रतिपादित किये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में स्थिति को देखे तो यह सही है कि अप्रार्थी आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटन राशि जमा कराने में विफल रहा है, किन्तु पोंग बांध आवंटन नियमों में हुए संशोधन दिनांक 27–07–2001 के तहत् जोडे गये नियम–7(ए) के अनुसार यदि किसी किस्त का भुगतान न होने के कारण आवंटन रद्द करने का आदेश दिया गया है तो आवंटन प्राधिकारी उसे निरस्त कर सकता है, यदि आवंटिती देय तिथि से भुगतान तक उस किस्त की राशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तथा चूक की तिथि से 6 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुआवजे के रूप में अदा कर दे, बशर्ते कि इस बीच वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित न कर दी गई हो। चूंकि प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर कोलोनी में पोंग बांध विस्थापितों और उनके हस्तांतरितयों को सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम–1972 से संबंधित है, जिसमें आवंटन प्राधिकारी को उक्त नियम के तहत् प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी को आवंटन हेतु पात्रता का पुनः निर्धारण करने की शक्तियां प्राप्त है। यदि उक्त भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को नही किया गया हो तो आवंटन प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ विहित प्रक्रिया के तहत् पुनः जांच कर विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु स्वतंत्र है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त नियम–7ए के आलोक में प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को उभय पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर आवंटन नियम–7 के तहत् विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई जाहिर प्रकट नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

5– परिणामतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर का निर्णय दिनांक 20–09–2006 यथावत् रखा जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय इस निर्णय से प्रभावित हुए बिना गुणावगुण पर अपना निर्णय पारित करने हेतु स्वतंत्र है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य